


13 8/19

पञ्जावली पेश हुई। वकील राठी व वकील  
उतिवाही संख्या 1 ता 10 उपस्थित। उपलब्धकार  
पाठन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।  
वकुलाय उमय पक्षी ने विभाजन प्रस्ताव के  
अनुसार दावा राठी F.D. किये जाने पर  
अपनी सहमति जताई। वकुलाय उमय पक्षी  
को सुना गया एवं पञ्जावली में उपलब्ध रेखा  
व प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया  
गया। प्राथमिक डिडी दिनांक 30/11/19 की  
अनुपालना में पक्षकारान के मध्य बरवारा कर  
उपलब्धकार पाठन द्वारा मिलवाया गया है।  
जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति  
प्रस्तुत नहीं की है बल्कि राठी व उतिवाही  
गण संख्या 1 ता 10 के अधिकारताओं द्वारा

अक्ष

विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमती दर्ज करवायी है। अतः दावा वाली मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम कप से डिडी किरा जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नम्बरा डिडी का भाग सम्झा जाये। तद्नुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद हेतु पर्चा डिडी मुतीव है। पत्रावली फंसल नुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तबकीक जाप्ता दरिखल कातर है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनया गया।

  
(अनुजू शर्मा)  
सहायक कलेक्टर  
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना